



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276393
CG-DL-E-22092026-276393

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 759]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2026

सं. 23/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 829(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882(अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 26 मार्च, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”

[फा.सं. 190354/287/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रमुख अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 882(अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 19/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 जून, 2025, जिसे सा.का.नि. 407(अ), दिनांक 24 जून, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

No. 23/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 829(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2021-Customs(ADD), dated the 27th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 26th March, 2027, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 190354/287/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 77/2021-Customs (ADD), dated the 27th December, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021 and last amended *vide* notification No. 19/2025-Customs (ADD) dated the 24th June, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 407(E), dated the 24th June, 2025.